"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 309] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 अक्टूबर 2009—आश्विन 24, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 1-36/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत नरहरपुर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को नगर पंचायत नरहरपुर गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :-

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत नरहरपुर का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	जनसंख्या (वर्ष 2001) (3)
1.	नरहरपुर	3317

अनुसूची-2

नरहरपुर नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार है :—

राजस्व ग्राम पंचायत नरहरपुर की सीमाएं ही नगर पंचायत नरहरपुर की सीमाएं होगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति, उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर, उत्तर बस्तर कांकेर को उनके कार्यालय में, राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 15th October 2009

NOTIFICATION

No. F. 1-36/18/2009.—In exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby signify their intention to constitute a Nagar Panchayat Narharpur in place of Gram Panchayat Narharpur, District-Uttarbastar Kanker as given in the following Schedule :—

SCHEDULE-1

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Narharpur is as under :—

Sl. No. (1)	Name of Village (2)	Population (Yr. 2001) (3)
1.	Narharpur	3317

SCHEDULE-2

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Narharpur is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Narharpur shall be the boundaries of Gram Panchayat Narharpur.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector, District-Uttarbastar Kanker, on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.